158

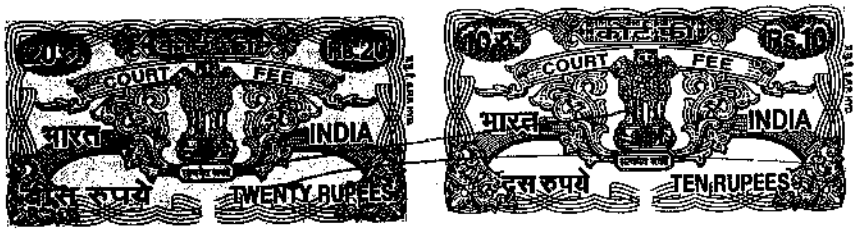

नि.ग - 1546 - II/16

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–शिवपुरी

1– राजो पुत्री श्री रामचरण
2– प्रेम पुत्री श्री रामचरण
3– विदिया पत्नी श्री देवचंद
4– जयराम पुत्र श्री रतन सिंह
5– रमेश पुत्र श्री रतन सिंह
6– चन्दन सिंह पुत्र स्व. श्री बेताल
निवासीगण – खिसलोनीं तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

दिनांक 19.5.16 को श्री धार्मिक चतुर्वेदी अधि० द्वारा प्रस्तुत।
19.5.16

न्यायालय कलेक्टर शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/90–91 अपील में पारित आदेश दिनांक 21.04.1993 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

8
19/5/16

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह अपील निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1546/दो/2016 जिला–शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.5.16	प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/90–91 अपील में पारित आदेश दिनांक 21.04.1993 से परिवेदित होकर म.प्र. भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गयी है। 2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं आवेदक की ओर प्रस्तुत की गयी, अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी पिछौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/89–90/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 27.07.1990 को ग्राम खिसलोनी में सिलिंग से अतिशेष घोषित भूमि का हरिजनों, आदिवासी एवं भूमिहीन व्यक्तियों को आवेदकगण सहित कुल 24 व्यक्तियों को बंटन किया गया था। इस आदेश के विरूद्ध नथन सिंह द्वारा कलेक्टर शिवपुरी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी थी जो आदेश दिनांक 21.04.1993 से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया	

गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है।

आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया है कि इसी प्रकरण से संबंधित एक प्रकरण क्रमांक 376/92-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 16.04.2008 को अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा अपील स्वीकार की गयी है, उक्त आदेश की फोटो प्रति इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। ऐसी स्थिति में वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

अनावेदक शासन की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि लम्बे समय पश्चात् इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में वर्तमान पुनरीक्षण निरस्त किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी का आदेश स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

3- यह सही है कि कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.04.1993 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी वर्ष 2016 में प्रस्तुत की गयी है परन्तु आवेदक की ओर से अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र देकर बताया गया कि कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.04.1993 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.05.2016 को ग्वालियर आने पर प्राप्त हुयी थी तत्पश्चात् अभिभाषक से सम्पर्क कर उनकी सलाह के अनुसार यह निगरानी वास्तविक जानकारी दिनांक से इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। वसीरवी विरूद्ध अब्दुल वाहव 1983 जे.एल.जे के न्यायदृष्टांत में स्पष्ट किया गया है कि न्याय हेतु मामला गुणा गुण पर

विनिश्चत करना चाहिये। अतः आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 में दिया गया विवरण समाधान कारक होने से विलंब क्षमा किये जाने योग्य है। इस प्रकरण में चूकिं बेताल पुत्र नन्हे का देहांत हो गया है ऐसी स्थिति में उनके पुत्र चंदन सिंह को पक्षकार बनाकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी।

4- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं आवेदकगण की ओर प्रस्तुत की गयी, अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 376/92-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 16.04.2008 पारित किया गया है, जो वर्तमान प्रकरण के आवेदको पर पूर्ण रूप से लागू होता है। क्योंकि ग्राम खिसलोनी में स्थित भूमि का बंटन तहसीलदार द्वारा विधिवत् इस्तहार जारी कर किया गया है। ग्राम पटवारी से रिपोर्ट ली गयी थी जिनके आधार पर आवेदकण को भूमि का आवंटन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा अपने आदेश में यह उल्लेख किया गया है, कि महिलाओ को भूमि का आवंटन के लिये योग्य नहीं माना है क्योंकि वह कृषि कार्य नहीं कर सकती जबकि इस संबंध में अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कृषि का कार्य ऐसा है जो एक व्यक्ति द्वारा

नहीं किया जा सकता है और इसमें कई व्यक्ति मिलकर कार्य करते है महिलाये भी अप्रत्यक्ष रूप से आज भी कृषि कार्य में सहयोग करती है। ऐसी स्थिति में उन्हे भूमि के आवंटन से वंचित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के अनुरूप नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.04.1993 आवेदकगणों के हितो तक निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी पिछौर द्वारा वर्तमान आवेदकगणों के हितो तक पारित आदेश दिनांक 27.07.1990 स्थिर रखे जाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 376/92-93 अपील में पारित दिनांक 16.04.2008 के अनुसार प्रदान किये जाते है। तथा तहसीलदार, को आवेदकगण का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में पूर्ववत् अंकित किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं इसी निर्देश के साथ वर्तमान प्रकरण समाप्त किया जाता है।

सदस्य